न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का आरूका बनाम हंसराज सरपंच पि॰ मदनलाल जाट

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण सँख्या :– 34/5/22 निर्णय दिनाँक :– 14/6/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रानौता की आ॰ख॰न॰ 125 कुल रकबा 0-68 किस्म जमीन गै॰मु॰ पोखर में से 0.02 (पड़त) रकबे पर श्री हंसराज सरपंच पि॰ मदनलाल पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर बाडेबन्दी कर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का आरूका द्वारा दिनाँक .... को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू॰अ॰निरी॰ दारैदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी हंसराज सरपंच पि॰ मदनलाल जाति जाट निवासी रानौता को भू॰ राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी हंसराज उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ॰ख॰न॰ 125/0-68 रकबा 0.02 में से .... रकबे किस्म गै॰मु॰ पोखर है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 37 पैसे का 50 गुणा 19/- उन्नीस रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी आरूका भू॰अ॰निरी॰ दारैदा .... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर (अलवर)

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज॰)